151

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्ड पीठ रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2151-II-15

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रामप्रताप गुप्ता तनय महावीर प्रसाद गुप्ता निवासी ब्यौहारी, तह0—ब्यौहारी, जिला शहड़ोल (म0प्र0) ——— निगरानीकर्ता

बनाम्

1— रामसेवक पिता कन्छेदी लाल गुप्ता

2— शिवप्रसाद पिता कन्छेदी लाल गुप्ता

3— रमेश पिता कन्छेदी लाल गुप्ता

4— अर्जुन प्रसाद गुप्ता रामस्वरूप गुप्ता

5— शीतेश कुमार पिता रामस्वरूप गुप्ता

6— सुनील कुमार पिता रामस्वरूप गुप्ता

7— ब्रजेन्द्र प्रसाद पिता रामदास गुप्ता

8— सन्तोष कुमार पिता रामदास गुप्ता

9— विनोद कुमार पिता रामदास गुप्ता

सभी निवासी ब्यौहारी, तह0—ब्यौहारी, जिला शहड़ोल (म0प्र0)

——— प्रतिपार्थी / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी, जिला शहडोल के प्रकरण क्र0—28 / अपील / बी—16 / अ / 2014—15 आदेश दिनांक 30.06.2015

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—50 म0प्र0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2151-दो/2015 जिला शहडोल रामप्रताप विरूद्ध रामसेवक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहरी जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 28/अपील/बी-16/अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

18.1.19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

18/1/2019

(आर.के. जैन)
सदस्य